BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : [illegible] परगना : ([illegible]) तहसील : [illegible] जनपद : [illegible] फसली वर्ष : 1428-1433 भाग : 1 खाता संख्या : 00001

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (है.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारियों [illegible] सन 1950 ई. के उ. प्र. ज. वि. एवं भू. व्य. अधि की धारा 117 - क के अधीन भूमि [illegible] हो, खेती करता हो।				
राज्य सरकार सम्पत्ति / /	309	0.5350	1428फ0 कार्यालय जिलाधिकारी महोदय [illegible] के पत्र सं0 3557 [illegible] दिनांक 26-12-2020 के क्रम में [illegible] जिलाधिकारी महोदय [illegible] द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक 3564/ [illegible] [illegible]-12-2020 पर पुनरीक्षित आदेश [illegible] दि0 30-12-2020 के [illegible] में ग्राम [illegible] खाता सं0 1 पर अंकित गाटा सं0 3[illegible]5/0.48[illegible], 393मि0/4.344हे0, 391/1.279हे0, 397मि0/0.057हे0 309/0.635हे0, 389/0.1876हे0, कुल 6 किता/6.8820हे0 [illegible] राज्य सरकार सम्पत्ति से खारिज होकर [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] के नाम अंकन [illegible] दर्ज हो। ह0[illegible] 31-12-2020 1428[illegible] कार्यालय जिलाधिकारी महोदय [illegible] के पत्र सं0 3558 [illegible] दिनांक 26-12-2020 के क्रम में [illegible] जिलाधिकारी महोदय [illegible] द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक 3564/ [illegible] [illegible]0-12-2020 पर पुनरीक्षित आदेश [illegible] दि0 30-12-2020 के क्रम में ग्राम [illegible] खाता सं0 1 पर अंकित गाटा सं0 [illegible]77/0.0[illegible]हे0, 393मि0/0.744, 385मि0/0.841, 356/0.045, 3[illegible]6/0.222, 370/0.070, 393मि0/0.744, 389/0.748, [illegible]9मि0/0.053, 372/0.214, 373/0.036, 375/0.069, [illegible]76/0.006, 395/1.404, 393मि0/0.744, 365/0.163, 380/0.160, 374/0.006हे0 कुल 18 किता/6 3.09हे0 [illegible] राज्य सरकार सम्पत्ति से खारिज होकर [illegible] [illegible] अधिशासी अभियन्ता [illegible] खण्ड-2 [illegible] जनपद [illegible] (सिंचाई विभाग) के नाम अंकन [illegible] दर्ज हो। ह0[illegible] 31-12-2020	
	393	9.0920		
	385	1.4260		
	356	0.8170		
	366	0.5910		
	397मि.	0.0570		
	391	1.2790		
	374	0.0200		
	322	0.6230		
	365	0.3680		
	371	0.2350		
	380	0.3440		
	389	3.0150		
	394क	0.0160		
	370	0.4620		
	354	1.1170		
	347	0.1130		

[illegible]
Disclaimer [illegible]
Software Powered By [illegible] Uttar Pradesh [illegible]

	369मि.	0.0530
	372	0.2140
	373	0.0810
	375	0.0690
	376	0.0200
	395	3.5170
	369क	0.0810
	377	0.0570
	378	0.0450
	379	0.0400
	40	0.0690
	42	0.0650
	44	0.0200
	49मि.	1.0640
	50क	0.0400
	51मि.	0.0530
	52	0.0320
	324क	0.0320
	325	0.2710
	327	0.0320
	345	0.0200
	351	0.0400
	45क	0.0040
योग	40	26.0510

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2
तुलसीपुर, बलरामपुर

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन्यजीव प्रभाग सोहगी बरवा,
जनपद–महराजगंज।

पत्रांक 12/राननिख–2,तुब/ दिनांक 08.01.2021

विषय– जनपद–महराजगंज में सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग, के अंतर्गत कैम्पियरगंज शाखा निर्माण (किमी0 51.000 से 62.106 तक) हेतु ग्राम–कोल्हुआ उर्फ सिंहोरवा में 0.20 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा लालपुर कल्यानपुर में 0.20 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 40 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– भारत सरकार वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ के पत्र संख्या–6बी/यूपी/02/166/2020/एफ0सी0/1115/दिनांक 29.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से जनपद–महराजगंज में सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग, के अंतर्गत कैम्पियरगंज शाखा निर्माण नहर निर्माण (किमी0 51.000 से 62.106 तक) हेतु ग्राम–कोल्हुआ उर्फ सिंहोरवा में 0.20 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा लालपुर कल्यानपुर में 0.20 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 40 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/CANAL/44512/2020 प्रेषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अंतर्गत स्वीकृति मांगे जाने के क्रम में निम्न विन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की वांछना की गयी है।

क0सं0	विन्दु संख्या	उत्तर
1	Comments of CWLW needs to be provided as the proposed site falls in ESZ.	वाईल्ड लाइफ क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव CWLW से अनुमोदन/ अग्रसारित दिनांक 29.11.2020 को उत्तर प्रदेश राज्य वन्य जीव परिषद की बैठक में अनुमोदित होने के उपरान्त राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की की बैठक में दिनांक 05.01.2021 को सम्मिलित हो चुका है ।
2	CA area is not contiguous to forest land. Hence, alternate CA land may be proposed.	प्रस्ताव संख्या–/FP/UP/ CANAL/ 38823/2019 हेतु प्रस्तावित CA land से सटी भूमि प्रस्ताव संख्या–FP/UP/CANAL/ 44512/2020 में प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में प्रस्ताव संख्या– FP/UP/ CANAL/ 38823/ 2019 हेतु CA land खतौनी में वनविभाग, उ0प्र0 सरकार (प्रभागीय वनाधिकारी सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर) के नाम से दर्ज हो चुकी है (खतौनी संलग्न)। वर्तमान में इस प्रस्ताव हेतु प्रस्तावित CA land वनभूमि से सटी हुई है।

अतः वांछित उपरोक्त सूचना आपको अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

8/01/2021

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2,
तुलसीपुर, बलरामपुर

पत्रांक– /राननिख–2,तुब/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–:

1– अधीक्षण अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण मण्डल–2 बस्ती।

2– सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2, तुलसीपुर बलरामपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2,
तुलसीपुर बलरामपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज।

पत्रांकः– 4370 /31–1, दिनॉक : महराजगंज, जनवरी 08 /2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव पूर्वी (गोण्डा)।

विषय :– प्रदेश जनपद– महराजगंज में सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत कैम्पियरगंज शाखा निर्माण (कि0मी0 51.000 से 62.106 तक) हेतु ग्राम–कोल्हुआ उर्फ सिंहोरवा में 0.20 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा लालपुर कल्यानपुर में 0.20हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 40 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–6बी/यूपी/02/166/2020/एफ0सी0/1115/दिनॉक 29.12.2020
अधिशासी अभियंता राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2 तुलसीपुर बलरामपुर सिंचाई विभाग के पत्र संख्या 12/राननिख–2,तुब/दिनॉक 08.01.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से यूजर एजेन्सी अधिशासी अभियंता राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2 तुलसीपुर बलरामपुर सिंचाई विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग महराजगंज के अन्तर्गत के अन्तर्गत कैम्पियरगंज शाखा निर्माण (कि0मी0 51.000 से 62.106 तक) हेतु ग्राम–कोल्हुआ उर्फ सिंहोरवा में 0.20 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा लालपुर कल्यानपुर में 0.20हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 40 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/CANAL/44512/2020 प्रेषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अंतर्गत स्वीकृति मांगे जाने के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध करा दी गयी है।

अतः यूजर ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना आपको अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पुष्प कुमार के0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज।

संख्या– अ/समदिनॉकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियंता राप्ती नहर निर्माण खण्ड–2 तुलसीपुर बलरामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुष्प कुमार के0)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज।